

## FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Rudraprayag

No 12Dated 19-12-2014

## TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.7825 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jasoli-Latu Devta-Bhunka Motor Road Under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Bhunka** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (j) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <sup>2.7825</sup> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 annexure....
- (k) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (l) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

*Raghu*  
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी  
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on date 19/12/14 at time .....at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 2.7825 hect for the construction of Jasoli-Latu Devta-Bhunka motor road ( 5.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag  
Dated:.....

*Raghav*  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee

बिला दधिकारी  
रुद्रप्रयाग

## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्रग्राम पंचायत का नाम भुनकातहसील रुड़पुराग, जिला रुड़पुरागअनापत्ति प्रमाण-पत्रजिला रुड़पुराग - उत्तराखण्ड मेंजसोली चनादु देवा से भुनका मेड मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु

हे० आरक्षित वन भूमि, 2.6425 हे० सिविल सोयम भूमि 0.1400 हे०, वन पंचायत भूमि  
 (हे०) अर्थात् कुल 2.7825 हे० वन भूमि का वने निर्माण विभाग विभाग / संस्था  
 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत  
 किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भुनका द्वारा दिनांक 21-11-2014 को  
 सम्बन्धित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार  
 अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
 आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि  
 कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर  
 ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित  
 किया गया कि ग्राम भुनका के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  
 प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / -

ग्राम सचिव

नोट:- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 21-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।  
ग्राम पंचायत भुनका

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	रघुनाथ सिंह	
	प्रेम सिंह	
	बेहमान सिंह	
	राम सिंह	
	मगन सिंह	
	सोहन सिंह	
	दशरथ सिंह	
	रेशन सिंह	
	सख्त सिंह	
	मनवर सिंह	
	शिव सिंह	
	बलका	
	पुलाप सिंह	
	बिन्दु सिंह	
	शशुपाल सिंह	
	आलम सिंह	
	राजेश सिंह	
	गोविन्द सिंह	

पवन सिंह  
 ग़मान सिंह  
 अहम सिंह  
 लक्ष्मण सिंह  
 अमर सिंह  
 अमर सिंह बड़ा  
 उमेश्वर देवी  
 मधु देवी  
 कवुला देवी  
 पेम सिंह नेगी  
 पंकज सिंह  
 सरजोत

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जसौली - लाटू - देवरा से मुक्का मो० मार्ग ल० = 5.00 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत

(2.6425 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1400 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि

..... हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7825 हे० वन भूमि) का

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक 8-12-14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चतर सिंह चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                            |  |                         |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1- | श्री <u>चतर सिंह चौधरी</u> | उपजिलाधिकारी                             | अध्यक्ष                 |
| 2- | श्री <u>अजय शर्मा</u>      | उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>रूद्रप्रयाग</u> | सदस्य                   |
| 3- | श्री <u>सुनील कुमार</u>    | सहायक समाज कल्याण अधिकारी                | सदस्य / सचिव            |
| 4- | श्री <u>हर्षवर्धन भट्ट</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र <u>देवराज लाल</u>      | सदस्य <u>देवराज लाल</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जसौली - लाटू - देवरा से मुक्का मो० मार्ग ल० = 5.0 किमी  
परियोजना हेतु 2.7825 हे० वन

भूमि

प्रा० ख० ली० नि० वि० रूद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, \_\_\_\_\_ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड \_\_\_\_\_ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जसोली - लाडू - देवरा से युक्ता मौ. मार्ग 20 ± 5.0 किमी परियोजना के निर्माण हेतु 2.7825 हे० वन भूमि श्री. वि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- .....  
जनपद- .....

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24  
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- .....  
जनपद- .....